2017/00328

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

(10)

प्रकरण संख्या 14 / 2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. केसरसिंह पिता स्वर्गीय डालुसिंह जी रावत राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सीमा पुत्री स्वर्गीय डालुसिंह जी रावत राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती मानी बेवा स्वर्गीय डालुसिंह जी रावत राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती देउबाई पत्नी स्वर्गीय भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. खीमसिंह पिता स्वर्गीय डालुसिंह जी रावत राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. प्रकाशसिंह पिता स्वर्गीय डालुसिंह जी रावत राजपूत, निवासी गांगागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 09.06.2017 प्र.सं. 385/2016

——/——

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री डी. एस. कर्णावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. रैस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित

——:——

निर्णय दिनांक 26–12–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक

(11)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का निवेदन किया।

उक्त प्रकरण संख्या 84/2013 अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05-08-2013 को प्रस्तुत होकर दिनांक 08-08-2013 को पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12-02-2014 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 जिसमें अपीलान्टगण भी शामिल हैं, के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसके बाद दिनांक 21-05-2014 को अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया एवं उसके अधिवक्ता की बहस सुनी तथा दिनांक 29-05-2014 को वादिया का वाद स्वीकार करते हुए वादिया का वाद एकतरफा डिक्री किया।

उक्त एकतरफा डिक्री दिनांक 29-05-2014 के विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर एकतरफा डिक्री को दो तरफा करने का निवेदन किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त एकतरफा डिक्री की जानकारी नहीं थी तथा उन्हें बिना सुने एकतरफा दावा डिक्री कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। वादिया देउबाई का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 वादिया से मिले हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादिया देउबाई के गोद चला गया इसलिए उसका हित देउबाई के साथ जुड़ा हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को भी अपने साथ मिला लिया है। प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड एडी के कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुए, न ही रजिस्टर्ड एडी पर उनके हस्ताक्षर हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थीगण के परोक्ष में उक्त सारी कार्यवायी करवायी है। अतएवं आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

प्रकरण में उक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09-06-2017 को उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रार्थीगण का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15-06-2016 को पेश की गई है।

(12)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमो ऑफ अपील मे वर्णित तथ्यो को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की तथा यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र बेरून मयाद मानने मे भूल की है। आदेश 9 नियम 13 सपठित जा.दी. का आवेदन डिक्री का ज्ञान होने के बाद एक माह मे पेश करना होता है. जो समयावधि में पेश किया गया है। साथ ही धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसका रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है, न ही काउण्टर शपथ पत्र पेश किया गया है. फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होना मानकर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या रजिस्टर्ड एडी से भेजे गये सम्मन निजी तौर पर तामिल हुए। यदि ऐसा नहीं है तो अपीलान्टगण के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उसे स्वीकार करना चाहिए था। अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 84/2013 में प्रतिवादीगण/आवेदक/अपीलान्टगण केसरसिंह. श्रीमती सीमा व श्रीमती मानीबाई को रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजे जाने पर उनकी एडी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा सम्मनों पर तामिल दिनांक 16-01-2014 की उपलब्ध है। दिनांक 16-01-2014 को अपीलान्ट को सम्मन तामिल होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 12-02-2014 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार जब अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एडी से नोटिस तामिल होने की साक्ष्य

पत्रावली पर उपलब्ध है तो उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश विधिक तामिल मानकर दिये गये हैं। दिनांक 12-02-20014 के बाद अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा डिक्री दिनांक 29-05-2014 को जारी की गयी है, जिसकी मयाद दिनांक 28-06-2014 होती है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन दिनांक 08-07-2016 को प्रस्तुत किया गया है, जो करीब 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन में जो आधार लिये गये है वह न तो उचित है, न ही पर्याप्त। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में डी.ए.जे. (राज.) 2003 (1) पेज 38 प्रस्तुत की गयी है, जिसमे रजिस्टर्ड एडी तामिल होना उपलब्ध नही है अर्थात प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं। तदनुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1979 इलाहाबाद पेज 366 प्रस्तुत की गयी है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है।

समग्र रूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. मयाद में प्रस्तुत नही होने के कारण जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नही पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09-06-2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26-12-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर